वॉक इन इन्टरव्यू

कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, हरदोई उत्तर प्रदेश

पत्रांक–रा0मे0का0ह0/2021–22/806 दिनांकः–15.07.2021

सूचना

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, हरदोई में विभिन्न विभागो के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति।

एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानको की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय, में रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमन्त्रित किये जाते है। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सक्षात्कार हेतु **दिनांक –17 जुलाई, 2021 दिन शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला) कार्यालय हरदोई में प्रातः 10:00 बजे** अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा एवं अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हो। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एव नियुक्ति की शर्ते महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट http://dgmeup.in पर उपलब्ध है।

क्र0 सं0	विशिष्टता	आचार्य		सह आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी
1.	आर्थोपेडिक्स	–	–	01	SC	–	–
2.	आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनकोलॉजी	01	SC	–	–	–	–
3.	इमरजेन्सी मेडिसिन	–	–	01	OBC	01	UR
4.	एनेस्थीसियोलॉजी	–	–	01	SC	–	–
				01	UR		
5.	कम्युनिटी मेडिसिन	–	–	–	–	01	EWS
6.	जनरल मेडिसिन	01	OBC	01	OBC	01	OBC
				01	GEN		
7.	जनरल सर्जरी	–	–	01	OBC	–	–
				01	EWS		
8.	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	–	–	01	SC	–	–
9.	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	–	–	01	UR	–	–
10.	पीडियाट्रिक्स	–	–	01	OBC	–	–
11.	फार्मोकोलॉजी	–	–	01	SC	–	–
12.	फोरेन्सिक मेडिसिन	–	–	–	–	01	SC
13.	बायोकेमिस्ट्री	–	–	01	OBC	–	–
14.	रेडियो–डाइग्नोसिस	–	–	01	OBC	01	SC
15.	साइकियाट्री	–	–	01	EWS	–	–
	योग	02		15		06	

नोट–एन0एम0सी0 मानको एवं एल0ओ0पी0 को दृष्टिगत रखते हुए आदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से रिक्त पद को भरने पर विचार किया जायेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् है–

41. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रूपया 1,35,000/ सह आचार्यो का नियत वेतन रूपया 1,20,000/तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन रूपया 90,000/माह है, इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India Minimum Qualification for Teacher's in medical Institution's Regulation 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
42. शासनादेश सं0–2282/71–1–2013–जी0–11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
43. शासनादेश सं0– 562/71–1–2020–जी0–63/2008 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।

Scanned with CamScanner

44. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव Autonomus State Medical College Uttar Pradesh, Prinicipal and Teacher's (Recruitment & other Condition of Services) Model Rules 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
45. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगें।
46. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षको को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
47. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
48. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाएं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
49. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाग अनुमन्य नहीं होगें।
50. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोष जनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
51. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोष जनक सेवा के पश्चात् चयनित अभ्यार्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकता अनुसार इनकी संतोष जनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
52. संविदा पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद् मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
53. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये कोई बोनस देय नही होगें।
54. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिये हकदार नहीं होगें।
55. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करकें समाप्त की जा सकती है।
56. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायें। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नही करेगें और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुबन्ध होगी।
57. अभ्यार्थियों के साक्षात्कार के समय इस आश्य का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरूद्ध माननीय न्याायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नही है, यादि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
58. उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/ 2019/4/1/ 2002/ का–2/19 टी0सी0–2 दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत नेट पर देखा जा सकता है।
59. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
60. उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी,
हरदोई

(मुहर: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हरदोई)

पत्रांक–रा0मे0का0ह0/2021–22/ 884–1 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
11. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
12. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, छठा तल उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
13. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज उ0प्र0।
14. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
15. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी,
हरदोई

Scanned with CamScanner

वॉक इन इन्टरव्यू

कार्यालय प्रधानाचार्य :: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी :: हरदोई।

E-mail : hardoimedicalcollege@gmail.com

संख्या: /मे0का0हरदोई/2021/005 दिनांक: 15/07/2021

–: सेवायोजन विज्ञप्ति :–

शासनादेश संख्या–06/2021/1351/71–3–2021–एनएम–07/2020, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, दिंनाक–05 जनवरी 2021 एवं शासनादेश संख्या–14/2021/1534/71–3–2021–एनएम–01/2020, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, दिंनाक–15 फरवरी 2021 के माध्यम से **स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई, उत्तर प्रदेश** के विभिन्न विभागों में सृजित सीनियर रेजीडेण्ट के पदों पर एन0एम0सी0 मानको को पूर्ण किये जाने/रोगीहित/शोध कार्यो हेतु चयन/नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार किये जाने हेतु पदों का विवरण निम्नवत है।

सीनियर रेजीडेन्ट के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बेवसाइट http://dgmeup.in पर उपलब्ध हैं।

सीनियर रेजीडेण्ट, वेतनमान (रूपये) 15600–39100 ग्रेड पे 6600 के पदों का विवरण

कम	विशिष्ठता	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर
1	आर्थोपैडिक्स	01	–	–	01	–	–
2	इमरजेन्सी मेडिसिन	06	02	02	01		01
3	एनेस्थिसिया	01	–	–	01	–	–
4	ई0एन0टी0	01	01	–	–	–	–
5	जनरल मेडिसिन	03	01	01	01	–	–
6	जनरल सर्जरी	03	02	01	–	–	–
7	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	01	–	01	–	–	–
8	डर्मेटोलॉजी	01	–	–	–	–	01
9	पीडियाट्रिक्स	01	–	–	01	–	–
10	रेडियोडायग्नोसिस	02	01	01	–	–	–
11	साइकेट्री	01	01	–	–	–	–
	योग	21	8	06	05	00	02

उक्त सीनियर रेजीडेण्ट पदों हेतु अर्हता एन0एम0सी मानकों के अनुरूप होंगी। चयन/नियुक्ति की कार्यवाही वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से 01 वर्ष के लिये की जायेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण–पत्रों एवं छायाप्रतियों की एक प्रति स्वप्रमाणित तथा 02 नवीन फोटो, मेडिकल काउंसिल के स्थाई पंजीकरण सहित साक्षात्कार हेतु **दिनांक –17 जुलाई, 2021, दिन शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला) कार्यालय हरदोई में प्रातः 10:00 बजे** उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी भी संस्था में कार्य कर रहे तो उस संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में शासकीय नियमानुसार छूट प्रदान की जायेंगी। ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को नवीनतम जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होंगा । चयनित अभ्यार्थियों की सूची कालेज की वेबसाइड पर अपलोड एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेंगी। उक्त रिक्त पदो के नियुक्ति/चयन की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय न होगा। पदों की सख्या घट–बढ़ सकती है।

नोट – उपरोक्त समस्त पदों पर पूर्णयता चयन/नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक अवशेष पदों पर प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को उक्त स्थल पर वॉक इन इण्टरव्यू सम्पन्न होंगे। आरक्षित श्रेणी के पद पर 03 बार साक्षात्कार होने के उपरान्त भी यदि कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो उस पद पर नियमानुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से चयन/नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित की जायेंगी।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, हरदोई।

संख्या– 005/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञाप्ति को महानिदेशालय की बेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. कुलसचिव/ प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/ सैफई,इटावा/ मेरठ/ आगरा/ इलाहाबाद/ झांसी/ गोरखपुर/ अम्बेडकर नगर/ कन्नौज /जालौन / बांदा/सहारनपुर/बदांयू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/छात्रावासो की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की बेवसाइड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
3. प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, हरदोई को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को समस्त मेडिकल कालेजों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. सूचना पट, कालेज/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास, मेडिकल कालेज, हरदोई।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, हरदोई।

Scanned with CamScanner